

उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी - हनुमानसिंह राठौड आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या - 19/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
जोइता पुत्र मोडजी जाति मेघवाल निवासी पहाडपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		1. तलका पुत्र हीरा 2. छोगला उर्फ छोगा पुत्र हीरा(तर्क) 3. तगीया पुत्र हीरा(तर्क) 4. अमृत पुत्र बाबू(तर्क) 5. मोहन पुत्र बाबू 6. पारस पुत्र बाबू 7. मु. सीता बेवा बाबू(तर्क) जातियान ढोली निवासीगण पहाडपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर 8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर

दावा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28/9/2018

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.07.2018 को सरहद मौजा पहाडपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 568/270 रकबा 0.81 है० व खसरा नं. 271 रकबा 1.18 है० जुमले रकबा 1.39 है० का वादी व प्रतिवादीगण नं. 1, 5 व 6 के मध्य रास्ते की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए बाई मिटस एंड बाउण्डस के जरिये विभाजन किया जाने की प्राथमिक डिक्री सादिर की गई तथा तहसीलदार जसवंतपुरा से विभाजन के प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए :- 1. जोईताराम पुत्र मोडाराम कौम मेघवाल साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.11 है०	बा.सो.	0.22	नक्शा किस्तवार में लाल रंग से दर्शाया भाग
271	0.59 है०	बा.सो.	1.18	
2	0.70 है०	-	1.40	

2. मोहन वल्द बाबू कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.04 है०	बा.सो.	0.08	नक्शा किस्तवार में हरे रंग से दर्शाया भाग
271	0.22 है०	बा.सो.	0.44	
2	0.26 है०	-	0.52	

3. पारस वल्द बाबू कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.04 है०	बा.सो.	0.08	नक्शा किस्तवार में बैंगनी रंग से दर्शाया भाग
271	0.22 है०	बा.सो.	0.44	
2	0.26 है०	-	0.52	

4. तलका वल्द हीरा कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.02 है०	बा.सो.	0.04	नक्शा किस्तवार में भूरे रंग से दर्शाया भाग
271	0.15 है०	बा.सो.	0.30	
2	0.17 है०	-	0.34	

इस प्रकार तहसीलदार जसवंतपुरा से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए । उक्त प्रस्ताव पर इस न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की उजर आपत्ति लिखित में अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की उजर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतएव उक्त प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायासंगत प्रतित होता है।

अतः विभाजन की डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

1. जोईताराम पुत्र मोडाराम कौम मेघवाल साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.11 है०	बा.सो.	0.22	नक्शा किस्तवार में लाल रंग से दर्शाया भाग
271	0.59 है०	बा.सो.	1.18	
2	0.70 है०	-	1.40	

2. मोहन वल्द बाबू कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568/270	0.04 है०	बा.सो.	0.08	नक्शा किस्तवार में हरे रंग से दर्शाया भाग
271	0.22 है०	बा.सो.	0.44	
2	0.26 है०	-	0.52	

1. पारस वल्द बाबू कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.

सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा

568 / 270	0.04 है०	बा.सो.	0.08	नक्शा किस्तवार में बैंगनी रंग से दर्शाया भाग
271	0.22 है०	बा.सो.	0.44	
2	0.26 है०	-	0.52	

2. तलका वल्द हीरा कौम ढोली साकिन देह के बंट में

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
568 / 270	0.02 है०	बा.सो.	0.04	नक्शा किस्तवार में भूरे रंग से दर्शाया भाग
271	0.15 है०	बा.सो.	0.30	
2	0.17 है०	-	0.34	

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान अपने हिस्से में आयी उक्त आराजी में किसी प्रकार की एक-दूसरे के बंट में दखलअंदाजी नहीं करे व न किसी से करावें। डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/9/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हनुमानसिंह, रसूलपुरा)
सहायक जिला न्यायाधीश (राज.)